संख्या-15/2016/864/63-व0उ0-2016-31(एच)/2016

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2016

**विषय:- बुनकरों को विद्युत आपूर्ति हेतु इन्डीपेन्डेन्ट फीडर की व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-95/हक0-फीडर/2016-17, दिनांक 04-05-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बुनकरों को अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु निम्न स्थानों पर इन्डीपेन्डेन्ट फीडर की व्यवस्था हेतु रू0 9,59,68,684.00 (रूपया नौ करोड उनसठ लाख अड़सठ हजार छह सौ चौरासी मात्र) की वित्तीय स्वीक़ति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं :-

| क्र0सं0 | परिक्षेत्र का नाम | चयनित स्थान का नाम जहां फीडर लगना है | उर्जा विभाग द्वारा फीडर लगने में होने वाले आगणित अनुमानित व्यय की धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1- | मुरादाबाद | जनपद अमरोहा | 1,38,82,456.00 |
| 2- | इलाहाबाद | कस्बा मठ आईमा | 3,86,03,303.00 |
| 3- | कानपुर | क- फेथफुलगंज<br>ख- शान्ती नगर<br>ग- कुम्हार मण्डी एवं<br>घ- आजाद पार्क | 4,34,82,925.00 |
| | | | 9,59,68,684.00 (रूपया नौ करोड. उनसठ लाख अड़सठ हजार छह सौ चौरासी मात्र) |

2- उक्त परियोजना का अप्रेजल उर्जा विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-3/24-उ0नि0नि0प्र0/15-2(प्रकोष्ठ)/03 दिनांक 02-01-2015 में निहित व्यवस्था के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीक़त धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। निदेशालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके शासन के सम्बन्धित विभागों को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा

http://shasanadesh.up.nic.in

आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0प्र0 कानपुर का होगा।

4- प्रस्तर'1 में स्वीकृत धनराशि रू0 9,59,68,684.00 (रूपया नौ करोड उनसठ लाख अड़सठ हजार छह सौ चौरासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-6 (आयोजनागत) के अधीन लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 05 संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03- बुनकरों को विद्युतआपूर्ति हेतु इन्डीपेन्डेन्ट फीडर की व्यवस्था -30-निवेश/ऋण" के नामें डाला जायेगा।

5- उक्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में वर्णित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किये जायेंगे।

भवदीय,

(मानिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 864(1)/63-व0उ0-2016-31(एच)/2015 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, नियन्त्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वित्तीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5- विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनउ।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-4/नियोजन अनु0-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in